पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 18 व एनबीडब्ल्यू में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 25.03.2024

दिनांक 24/25.03.2024 को थाना चौक 01, गाजीपुर 01, गोसाईगंज 01, इन्दिरानगर 01, महानगर 01, मोहनलालगंज 01, सु0गो0सि0 12, अभियुक्त एवं एनबीडब्ल्यू में थाना गाजीपुर 04, विकासनगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 18 व एनबीडब्ल्यू में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना माल-दिनांक 24.03.2024 को उ0नि0 मो0 रोशन थाना माल द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त 01- रामसनेही पुत्र स्व0 रामऔतार निवासी ग्राम रामनगर थाना माल लखनऊ को सामुदायिक मिलन केन्द्र रामनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 10-10 ली0(कुल 20 ली0) अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना माल पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना चौक-दिनांक 24.03.2024 को उपनिरीक्षक श्री पंकज कुमार यादव चौकी प्रभारी थाना चौक द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त 01- इमरान पुल्ली पुत्र आज़ाद निवासी छंदोईया थाना दुबग्गा लखनऊ को स्टेडियम गेट के समीप करीब 50 कदम की दूरी खुन-खुन जी महिला पी.जी. कालेज के पास थाना चौक लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना चौक पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना बाजारखाला -दिनांक 24.03.2024 को उ0नि0 अरूण कुमार मिश्रा द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 01. राजेश गौड पुत्र मुगरई गौड नि0 मिल रोड निकट एस0 बी0 आई0 बैंक थाना बाजारखाला लखनऊ 02- राजीव रावत उर्फ राजू पुत्र पंचम रावत नि0 नया शिव मंदिर करेहटा थाना बाजारखाला लखनऊ 03- शहजादे पुत्र हनीफ रेलवे लाइन अम्बेडकर नगर निकट ऐवरेडी चौराहा थाना बाजारखाला लखनऊ को आपस में ताश के पत्तों द्वारा रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान रुद्र प्लास्टिक एण्ड केबिल की दुकान के सामने सड़क के किनारे थाना बाजारखाला लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व मालफड़ में 1,700/-रूपये नगद एवं जामातलाशी में 500/- रूपये नगद बरामद कर थाना बाजारखाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना निगोहाँ-दिनांक 24.03.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराह के अभियुक्त 01- भगवानी चेलाकी पुत्र श्रीराम चेलक निवासी ग्राम खट्टी थाना बागबाहरा जनपद महासमुंद छत्तीसगढ़ वर्तमान पता- अधैया भट्ठा थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ को रंजीत खेड़ा से आगे जबाहरखेड़ा जाने वाले मार्ग पर पक्की सड़क से से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक के डिब्बे में 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना निगोहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना बाजारखाला -दिनांक 25.03.2024 को थाना बाजारखाला द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता पत्नी स्व0 श्री सिद्धनाथ गुप्ता निवासी- 283केए/406 ऐशबाग मिल रोड लखनऊ ने थाना बाजारखाला पर सूचना दिया कि दिनांक 20.03.2024 वादिनी के मो0 फोन पर मो0न0- 9957196176 से कई बार कॉल आया और फिर वादिनी के गूगल पे ऐप से 45,000/- रु0 ट्रांसफर हो जाने का मैसेज आया। इस प्रकार वादिनी के अकाउण्ट से किसी अज्ञात द्वारा 45,000/-रूपये की राशि ट्रांसफर कर ली गयी। **इस सूचना पर थाना बाजारखाला पर मु0अ0सं0-49/2024 धारा-66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना काकोरी- दिनांक 25.03.2024 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी सुरेन्द कुमार पुत्र श्री निर्भय निवासी- बरकताबाद (लालता बेड़ा) मोहान रोड, थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि वादी का कार्यालय पान बेड़ा चौराहा के बगल में महियर सिटी में मिली सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज के नाम से स्थित है। दिनांक 23.03.2024 की शाम कार्यालय बन्द कर के वादी व वादी के कार्यालय के कर्मचारी अपने-अपने घर चले गये। दिनांक 24.03.2024 को प्रातः 07.00 बजे जब वादी उक्त कार्यालय वापस आया और आफिस के अन्दर जाने पर पता चला कि किसी अज्ञात चोर द्वारा आंगन पर लगी ग्रिल तोड़ कर वादी के आफिस में लगी डी.वी.आर. और काउंटर की दराज में रखा नगदी चोरी कर ली गयी है। **इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0-68/2024 धारा-380/457 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**